# प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 02.08.2025

## #OPERATION CONVICTION

**इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 02.08.2025 को अभियोग मे सजा करायी गयी है।**

## 1. थाना सिविल लाइन

**इटावा पुलिस/अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये हत्या करने वाले 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास व 50,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।**

**जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना सिविल लाइन, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये हत्या करने वाले 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास व 50,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।**

**संक्षिप्त विवरणः-**

दिनांक 31.08.2024 को वादिनी श्रीमती रमाकान्ती पत्नी कमल सिंह निवासी जुगरामऊ थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा ने थाना सिविल लाइन तहरीर दी कि जितेन्द्र मौर्य द्वारा वादिया के पुत्र को गाली गलौज करते हुये धार दार चाकू से वार करके हत्या कर दी जिसके संबंध में थाना सिविल लाइन पर **मु0अ0सं0 181/2024 धारा 103(1)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना सिविल लाइन पुलिस टीम, पैरोकार हे0का0 मुलायम सिंह एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व डीजीसी श्री शिव कुमार शुक्ला द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप अभियुक्त को आज दिनांक 02.08.2025 को अन्तर्गत धारा 103(1)/352 बीएनएस में **मा0 न्याया0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटावा** द्वारा **आजीवन कारावास व 50,000/- रु0** से दण्डित किया गया।

**सजायाफ्ता अपराधी-**

1. **जितेन्द्र मौर्या पुत्र नत्थूराम मौर्या निवासी अम्बेडकर चौराहा के पास भारतीय राखी नर्सरी थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।**